दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

हसदेव एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में मिला युवक का शव

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन में हसदेव एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे के अंदर एक युवक का शव मिली है। युवक का शव फ ांसी पर लटकता हुआ मिला है। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर रेलवे स्टेशन पर हसदेव एक्सप्रेस ट्रेन लगभग 2.30 बजे दुर्ग से धुलकर रायपुर आई थी और रायपुर से शाम 6 बजे कोरबा जाने वाली थी। इस दौरान ट्रेन की साफ सफाई के लिए कर्मचारी ट्रेन के अंदर पहुंचा तो वहां जनरल डिब्बे के अंदर युवक को फंदे पर लटकते हुए देखा। जिसके बाद कर्मचारी ने इसकी जानकारी आरपीएफ को दी। जिसके बाद अधिकारी अब रेलवे स्टेशन पहुंचे। मृत मिले युवक की पहचान नहीं हो पाई है। युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी की है या फिर कोई घटना कर उसे यहा स्वरूप दिया गया है,यह जांच का विषय है। फिलहाल आरपीएफ और जीआरपी आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। इस घटना की खबर फैलते ही स्टेशन परिसर में सनसनी फैल गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक युवक की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है।

निलंबित आईएएस रानू साहू और माया वारियर को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 17 तक बढ़ी न्यायिक रिमांड

मनोज द्विवेदी भी कोर्ट में पेश

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के चर्चित ष्ठरूस्न घोटाला मामले में आज निलंबित द्बद्रस् रानू साहू और माया वारियर को कोर्ट में पेश किया गया. दोनों आरोपियों को ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया. एक बार फिर रानू साहू और माया वारियर की मुश्किलें बढ़ गई है. कोर्ट ने दोनों की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है. 17 दिसंबर तक दोनों की न्यायिक रिमांड बढ़ गई है. वहीं निलंबित द्बद्रस् रानू साहू के कथित सहयोगी मनोज द्विवेदी को भी आज कोर्ट में पेश किया गया. मनोज द्विवेदी पर रानू साहू के साथ मिलकर ह्रत्रह्र के माध्यम से ष्ठरूस्न के करोड़ों रुपए गबन का आरोप है. बता दें कि रानू साहू जून 2021 से जून 2022 तक कोरबा में कलेक्टर थीं. इसके बाद फरवरी 2023 तक वह रायगढ़ की भी कलेक्टर रहीं. इस दौरान माया वारियर भी कोरबा में पदस्थ थीं. कलेक्टर रानू साहू से करीबी संबंध होने के कारण कोयला घोटाले को लेकर माया वारियर के दफ्तर और घर में श्वष्ठ ने छापा मारा था. ष्ठरूस्न की बड़ी राशि आदिवासी विकास विभाग को प्रदान की गई थी, जिसमें घोटाले का आरोप है. इसका प्रमाण मिलने के बाद श्वष्ठ ने माया वारियर को भी गिरफ्तार किया गया है.

रेस्क्यू टीम ने कर्नाटक से 14 बंधक श्रमिकों को कराया मुक्त

जगदलपुर (आरएनएस)। कलेक्टर हरिस एस के निर्देशानुसार जिले की रेस्क्यू टीम द्वारा कर्नाटक राज्य से बस्तर जिले के 14 बंधक श्रमिकों को मुक्त कराया गया। साथ ही इन श्रमिकों को 03 लाख 28 हजार 500 रुपए मजदूरी राशि का भी भुगतान करवाया गया। रेस्क्यू टीम द्वारा उक्त सभी श्रमिकों को जगदलपुर लाया गया। श्रम पदाधिकारी जगदलपुर ने इस बारे में बताया कि कलेक्टर के समक्ष 4 नवम्बर को आवेदक टोरका पिता देवा द्वारा शिकायत प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नैननार तहसील तोकापाल थाना कोडेनार तथा ग्राम बिसपुर तहसील दरभा थाना पखनार के कुल 10 श्रमिकों को भरत पिता स्वर्गीय लिटी के द्वारा मक्का एवं अंगूर तोडऩे के बहाने ग्राम बबलेश्वर विजयापुरा कर्नाटक में बंधक बनाया गया है। कलेक्टर ने उक्त शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेकर 5 सदस्यीय रेस्क्यू दल गठित कर 30 नवम्बर को कर्नाटक के लिए रवाना किया गया। दल ने कर्नाटक पहुंचकर श्रमिकों को रेस्क्यू कर 14 श्रमिकों को ग्राम बबलेश्वर विजयापुरा से अवमुक्त कराते हुए श्रमिकों के लंबित कुल 03 लाख 28 हजार 500 रुपए का भुगतान भुगतान करवाया गया। इन श्रमिकों को अवमुक्त करवाने के पश्चात सकुशल जगदलपुर लाया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमनार में अपेक्स बैंक की नई शाखा का किया वर्चुअल शुभारंभ

- किसानों ने कहा बैंकिंग सुविधाओं की दूरी हुई कम, समय की होगी बचत
- तमनार की नई शाखा से अंचल के 13 हजार से ज्यादा किसान सीधे होंगे लाभान्वित

रायगढ़

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज तमनार में अपेक्स बैंक की नई शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने तमनार घरघोड़ा क्षेत्र के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि अपेक्स बैंक की शाखा खुलने से अब यहां के किसानों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। तमनार से ही खेती किसानी से जुड़े कार्यों के लिए बैंकिंग सुविधा मिलेगी, जिससे किसानों को सहूलियत होगी। इस मौके पर वित्त मंत्री ओ पी चौधरी और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे।

जिला रायगढ़ अंतर्गत पूर्व में 05 शाखाएँ रायगढ़, पुसौर, खरसिया, धरमजयगढ़ एवं लैलूंगा में संचालित हैं। विगत कुछ वर्षो से घरघोडा एवं तमनार के अंचल के किसानों द्वारा अपैक्स बैंक की नवीन शाखा तमनार खोलने हेतु मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा अंचल कृषकों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नवीन शाखा तमनार खोलने हेतु प्रयास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव से द्वारा किये गए अथक प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 10 दिसंबर 2024 को विकासखंड तमनार एवं घरघोडा हेतु नवीन शाखा तमनार का शुभारम्भ किया जा रहा है।

पूर्व में रायगढ़ शाखा के अंतर्गत ही विकासखंड तमनार एवं घरघोडा का कार्य संचालन किया जा रहा था परन्तु आज दिनांक 10 दिसंबर 2024 से नवीन शाखा के शुभारंभ होने के पश्चात् विकासखंड तमनार एवं घरघोडा परिक्षेत्र के समस्त कृषकों के वित्तीय लेन-देन का कार्य नवीन शाखा तमनार से ही संचालित किया जा सकेगा।

इस अवसर पर तमनार से जनपद पंचायत अध्यक्ष सविता कमल राठिया, जिला पंचायत सदस्य द्वय सहोद्रा दुर्गेश राठिया व रोहिणी बसंत राठिया, जनपद सदस्य ममता साव, सरपंच ग्राम पंचायत तमनार गुलापी सिदार, श्रीकांत सोमावार, सतीश बेहरा, विनायक पटनायक, जतिन साव, रमेश बेहरा, अश्विनी पटनायक, मुकुन्द मुरारी पटनायक, उपायुक्त सहकारिता चन्द्रशेखर जायसवाल, अपेक्स बैंक से पंकज सोढ़ी सहित गणमान्य नागरिक व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

किसानों ने कहा बैंकिग सुविधाओं की दूरी हुई कम

इस मौके पर स्थानीय कृषक रामचरण कुम्भकार ने कहा कि यह क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी खुशी की बात है। अब किसानों को रायगढ़ तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी यही से ही किसान बैंक से जुड़े कार्य करवा सकेंगे। इसी तरह विनायक पटनायक ने कहा कि क्षेत्र के किसानों के खाते रायगढ़ के अपेक्स बैंक में थे जो अब नई शाखा तमनार से संचालित होंगे। इससे किसानों को रायगढ़ जाने में लगने वाले समय की बचत होगी कई बार बैंक का काम पूरा करने के लिए पूरा दिन चला जाता था। इन सबसे किसानों को राहत मिलेगी। स्थानीय स्तर पर ही धान खरीदी का भुगतान ऋण प्राप्ति जैस कार्य आसानी से पूरे किये जा सकेंगे।

13 हजार से ज्यादा किसान होंगे लाभान्वित

शाखा रायगढ़ के कार्यक्षेत्र अंतर्गत 27 समितियां संचालित थी जो कि नवीन शाखा तमनार खुलने पश्चात् विकासखंड तमनार एवं घरघोडा की 13 समितियां नवीन शाखा तमनार से संचालित होगी। जिनमें विकासखंड घरघोडा अंतर्गत घरघोडा, टेंडानवापारा, कुर्मीभौना, छर्राटांगर, कुडुमकेला और विकासखंड तमनार अंतर्गत समिति तमनार, जरेकेला, खम्हरिया, उरबा, धौराभांटा, हमीरपुर, सराईटोला, सराईपाली की समितियां शामिल हैं। नवीन शाखा तमनार में करीब 13 हजार 900 कृषक पंजीयन होंगे। नई शाखा खुलने से किसानों को धान खरीदी के भुगतान, ऋण प्राप्ति व खाद आदि के वितरण में आसानी होगी।

गुम बालिका दस्तयाब : मेला दिखाने के बहाने बालिका को भगा ले जाने वाले आरोपी को पूंजीपथरा पुलिस गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़

थाना पूंजीपथरा पुलिस ने गुमशुदा बालिका को दस्तयाब करते हुए उसके साथ अनाचार करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। बालिका की मां द्वारा 02 नवंबर को गुम बालिका की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के लापता होने की जानकारी दी थी।

बालिका की मां ने बताया कि 31 अक्टूबर 2024 की सुबह काम पर जाने के बाद शाम 4:30 बजे घर लौटीं, तो उनकी छोटी बेटी गायब मिली। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारी में काफी खोजबीन की, लेकिन बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद थाना पूंजीपथरा में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 244/2024 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

गुम बालिका की खोजबीन दौरान कल 10 दिसंबर को गुम बालिका को विक्रम धनवार उर्फ रिंकु (24 वर्ष) के साथ पाया गया। बालिका ने बताया कि आरोपी उसे मेला दिखाने के बहाने अपने साथ ले गया और उसके साथ अनाचार किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बालिका को सुरक्षित दस्तयाब किया और मेडिकल परीक्षण कराया। प्रकरण में धारा 87, 65(1), 351(2) बीएनएस एवं 4,6 पोक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक जयराम सिदार, विजय एक्का और हमराह स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पूंजीपथरा पुलिस की तेज़ और सख्त कार्रवाई से परिजनों ने राहत की सांस ली है।

खरसिया क्षेत्र में वाटर एटीएम आगजनी मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, पूर्व रंजिश में स्कूटी और एटीएम जलाने की घटना का खुलासा

रायगढ़

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल और एडिशनल एसपी आकाश मरकाम के मार्गदर्शन पर खरसिया पुलिस ने नया बस स्टैंड के पास वार्ड क्रमांक 16 में नगरपालिका द्वारा स्थापित वाटर एटीएम को आग लगाने की घटना का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस आगजनी से एटीएम पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे नगरपालिका को करीब 9.5 लाख रुपये की क्षति हुई।

घटना को लेकर 10 दिसंबर को खरसिया नगर पालिका के सीएमओ विक्रम भगत ने पुलिस चौकी में आवेदन देकर शिकायत की कि 9 दिसंबर की रात कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने वाटर एटीएम को आग लगा दी। इस घटना में एटीएम जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 754/24 के तहत धारा 324(2), 324(5) बीएनएस और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

एसडीओपी खरसिया प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक संजय नाग ने जांच की। मुखबिर की सूचना पर संदिग्धों की पहचान हुई। चंद्रशेखर उर्फ पप्पू गबेल ने बताया कि 9 दिसंबर को वह अपनी स्कूटी पर बाबुल खान को बैठाकर बस स्टैंड गया था, जहां पुरानी बस्ती निवासी प्रेमलाल सिदार और बिट्टू सिदार से उसकी झड़प हुई।

पुरानी रंजिश के चलते प्रेमलाल और बिट्टू ने चंद्रशेखर के साथ मारपीट की, जिससे वह डरकर अपनी स्कूटी छोड़कर घर भाग गया। बाद में दोनों आरोपियों ने स्कूटी को जलती लकड़ी से आग लगा दी। स्कूटी से लगी आग की लपटों ने पास में खड़े वाटर एटीएम को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह जलकर नष्ट हो गया।

पुलिस ने चंद्रशेखर की शिकायत पर मारपीट और गाली-गलौच के लिए धारा 296, 115(2) बीएनएस को जोड़ा। तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों प्रेमलाल सिदार और बिट्टू सिदार को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपी:

1. प्रेमलाल सिदार (संवरा) – उम्र 23 वर्ष, निवासी सौरापारा, पुरानी बस्ती, वार्ड क्रमांक 9, खरसिया।
2. बिट्टू उर्फ सागर सिदार (संवरा) – उम्र 19 वर्ष, निवासी सौरापारा, पुरानी बस्ती, वार्ड क्रमांक 9, खरसिया।

इस घटना के बाद पुलिस की तेज़ कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सकारात्मक संदेश गया है।

उद्यानिकी फसलों से किसान ने कमाया 10 लाख का मुनाफा

- घर निर्माण के साथ खेती के लिए ट्रैक्टर
- शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर खेती में नवाचार करने वाले किसान दरश राम बने लखपति
- धान की फसल से उद्यानिकी फसलों का किया रुख, जीवन में आया बदलाव

रायगढ़

शासकीय योजनाओं और आधुनिक तकनीक का सही उपयोग किस तरह किसानों की जिंदगी बदल सकता है, इसका बेहतरीन उदाहरण हैं विकासखंड रायगढ़ के ग्राम जुनवानी पश्चिम निवासी कृषक दरश राम पटेल। अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति से पटेल ने धान की पारंपरिक खेती के सीमित मुनाफे से अलग उद्यानिकी कृषि में आधुनिक तकनीक अपनाई और लाखों रुपये की आय अर्जित कर रहे है।

पारंपरिक खेती से शुरुआत करने वाले दरश राम पटेल का 8 सदस्यों का भरापूरा परिवार है, उनके पास लगभग 10 एकड़ कृषि भूमि है। जिसमें वे पारंपरिक तरीके से धान की खेती करते थे। जिससे उन्हें बहुत कम आय प्राप्त होती थी। सीमित आय ने उन्हें नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया। इस दौरान उन्होंने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। विभाग ने उन्हें आधुनिक कृषि तकनीक, योजनाओं की जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। विभागीय मार्गदर्शन के पश्चात् पटेल ने खेती के तरीके में बदलाव किया।

उद्यानिकी विभाग द्वारा पटेल को राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सामुदायिक फेंसिंग, ड्रिप सिंचाई, सब्जी क्षेत्र विस्तार, पैक हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग जैसे विभागीय योजनाओं का लाभ मिला। सामुदायिक फेंसिंग योजना के तहत फसलों को जानवरों से बचाने के लिए गांव के अन्य किसानों के साथ सामूहिक रूप से लाभ दिया गया। इसके अलावा उनकी फसलों के उचित भंडारण के लिए पैक हाउस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इससे उनकी फसल की गुणवत्ता बरकरार रही और बाजार में बेहतर दाम मिले।

पटेल ने अपनी आय का उपयोग अपने परिवार की जीवन शैली सुधारने में किया। उन्होंने अपने कच्चे मकानों को पक्का बनाया और खेती के लिए एक ट्रैक्टर व अन्य उपकरण भी खरीदे। पटेल ने साबित कर दिया कि शासकीय योजनाओं एवं मेहनत से कृषि को भी लाभकारी व्यवसाय में बदला जा सकता है। आज वे पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके है और क्षेत्र के किसान भी आधुनिक कृषि की ओर अग्रसर हो रहे है।

उद्यानिकी फसल से कमाए 10 लाख से अधिक

कृषि कार्य में सहयोग करने वाले पटेल के पुत्र नरेंद्र पटेल बताते है कि उन्होंने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पश्चात निजी कंपनी में ट्रेनी के तौर पर कार्य कर रहे थे, लेकिन आज अपने जॉब से अधिक कृषि कार्य से संतुष्ट है। उन्होंने बताया कि धान से अधिक मुनाफा उद्यानिकी फसलों में है। गर्मी में उन्होंने केवल 30 डिसमिल में लगाए बैगन से तीन लाख तक मुनाफा कमाए है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी फसलों में मल्चिंग के पश्चात खरपतवार की दिक्कत नहीं होती, जबकि धान के फसल में ऐसा नहीं होता। वही पानी की खपत भी अधिक होती है। उन्होंने बताया कि 2.5 एकड़ भूमि में टमाटर, बैगन, करेला से खेती शुरू की। उन्नत बीज और तकनीकों का उपयोग करते हुए उन्होंने लगभग 10 लाख रुपये की आय अर्जित की। वही इस वर्ष 12 से 13 लाख से अधिक की कमाई का अनुमान है।

ग्राम छिरवानी में चक्रधरनगर पुलिस की शराब रेड कार्यवाई: 12 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

दिनांक 10 दिसंबर 2024 को चक्रधरनगर पुलिस ने ग्राम छिरवानी में जयकुमार चौहान के घर पर दबिश देकर अवैध शराब बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई की। टीआई चक्रधरनगर प्रशांत राव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जयकुमार चौहान अपने घर के आंगन में महुआ शराब बिक्री के लिए रखे हुए है।

प्राप्त सूचना के आधार पर महिला प्रधान आरक्षक समुंद रनकर के नेतृत्व में आरक्षक अभय नारायण यादव और शांति कुमार मिरी की टीम ने जयकुमार चौहान के घर पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से दो-दो लीटर की क्षमता वाली 6 कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में कुल 12 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत 2400 रुपये बताई गई है।

आरोपी जयकुमार चौहान, पिता दिलीप सिंह चौहान (उम्र 40 वर्ष), निवासी छिरवानी, को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। जब्ती की कार्रवाई गवाहों के समक्ष पूरी की गई और आरोपी को थाना चक्रधरनगर लाया गया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे रिमांड पर भेज दिया है। चक्रधरनगर पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर कड़ी चोट पहुंची है।

जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक ने किया रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को देहदान

- शिक्षकों के साथ ही समाज के सभी वर्गो को देहदान करने की अपील

रायगढ़

जिले के रायगढ़ विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला सराईपाली पश्चिम में पदस्थ प्रधानपाठक चूड़ामणी प्रकाश डनसेना (राहुल) ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ को देहदान हेतु समस्त दस्तावेज पूरा कर देहदान किया। चिकित्सालय के डीन डॉक्टर विनीत जैन के मार्गदर्शन में एनाटॉमी डिपार्टमेंट के प्रमुख चिकित्सक सुरजीत कुंडू के द्वारा समस्त प्रक्रिया पूरी कराई गई, तत्पश्चात कुंडू ने डनसेना को डिसेक्शन हॉल में ले जाकर छात्रों से मुलाकात कराते हुए चिकित्सा क्षेत्र में उनके देहदान के निर्णय के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

डनसेना ने अपने संबोधन में भावी चिकित्सकों को शुभकामनाएं देते हुए मृत्यु उपरांत भी समाज के लिए कुछ करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जीवित रहते हुए तो सभी अपना कार्य करते हैं, परंतु मृत्यु उपरांत भी जो समाज के लिए कुछ करता है, उसका मानव जीवन सफल होता है। उन्होंने सभी शिक्षकों के साथ ही समाज के सभी वर्गो को देहदान एवं शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगदान कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की ताकि जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने अपने इस निर्णय के लिए परिवार के साथ ही कॉलेज के डिपार्टमेंट के स्टाफ के प्रति भी कृतज्ञता जाहिर की। इस अवसर पर चिकित्सक सुरजीत कुंडू, रिचा गुरुदीवान, गिरीश दशहरे, सीमा तिग्गा, निधि टीकम, रजिया खातून, ज्योति जसाथी के साथ तकनीकी विभाग से ज्योति पाठक हरिशंकर बंजारे, प्रभुदान एक्का,कृष्ण कुमार चौहान, नंदराम पटेल, संजय पटेल के साथ भावी चिकित्सक उपस्थित थे।

विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर जिला जेल में आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर

रायगढ़

प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार जैन के मार्गदर्शन में अंकिता मुदलियार, न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ द्वारा 10 दिसम्बर विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर जिला जेल रायगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

आयोजित शिविर में समाज के कमजोर वर्गो को नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए और विवादों के सौहद्र्रपूर्ण समाधान, संविधान के अनुच्छेद 39-ए में अवसर के समानता के आधार पर न्याय को बढावा देने के लिए, समाज के कमजोर वर्गो को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधान के संबंध मे अभिरक्षाधीन पुरूष एवं महिला बंदियों को पृथक-पृथक जानकारी दी गई। साथ ही बंदियों को यह भी बताया गया कि अपना स्वयं का अधिवक्ता नि:शुल्क रख सकते हैं जो आपका केस पूर तरह से नि:शुल्क पैरवी करेगा, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। उन्हें कानून संबंधी अन्य जानकारियां के साथ अपराधों से दूर रहने की भी सलाह दी गई।

प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार जैन ने विशेष रूप से यह भी बताया गया कि मानवाधिकार वह अधिकार है जो हमें सिर्फ इसलिए मिलें हैं क्योंकि हम मनुष्य है, जो किसी राज्य द्वारा प्रदाय नहीं किया जाता है। ये सार्वभौमिक अधिकार हम सभी में निहित है चाहें वह किसी भी जाति रंग, धर्म,लिंग,भाषा,अन्य राज्य, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति का हो। इस दिवस को दुनिया भर में मनाया जाता है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष मानव अधिकार दिवस 2024 का थीम हमारे अधिकार, हमारा भविष्य अभी है यह इस बात पर गौर करता है कि मानव अधिकार हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करते है जो उन अविभाज्य अधिकारों को सुनिश्चित करता है, जो हर किसी को एक इंसान के रूप में प्राप्त है। शिविर के माध्यम से हिट एण्ड रन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, घरेलु हिंसा, मोटरयान(संशोधन) अधिनियम 2019, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ के संबंध जागरूक करते हुए तुरन्त कार्यवाही करने एवं नि:शुल्क विधिक साक्षरता के संबंध में बताया। शिविर में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी देवेन्द्र साहू, कुमारी पुनीत समीक्षा सिविल जज जुनियर डिविजन रायगढ़, जेलर जिला जेल स्वाती पांडे एवं एस.पी. कुर्रे के साथ पैरालीगल वालिंटियर की उपस्थिति रही।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480